भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3607

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा

†3607. **श्री वी.के. श्रीकंदन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की अनुशंसा की थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अनुशंसाओं के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नए दर्जे से एनसीईआरटी को अकादमिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा पाठ्यचर्या निर्माण संस्था से उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करने का अधिकार प्राप्त होगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ)**:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली द्वारा संस्था को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन की जांच की गई थी। समिति ने समग्र मूल्यांकन के बाद, एनसीईआरटी, नई दिल्ली को सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की। यूजीसी के सुझाव पर विचार करते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2026 की अधिसूचना के माध्यम से एनसीईआरटी, नई दिल्ली को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया। उक्त घोषणा इस शर्त के अध्यधीन थी कि यह शोध कार्यक्रम के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने हेतु उचित कदम उठाएगा।

संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से एनसीईआरटी को शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने में मजबूती मिलेगी। यह केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए थिंक टैंक और राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा।
